तिथि हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स वाद सं. 5 [illegible] बनाम [illegible] दफा 46/15	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
[illegible]/17	वकील प्रतिपक्ष उपस्थित बहस [illegible] मनन किया गया [illegible] पत्रावली अवलोकन किया [illegible] वादी [illegible] डिक्री किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा [illegible] इसलिये किया गया। पत्रावली [illegible] पत्रावली दिनांक 12/4/17 को पेश हो। Riy	6/11 [illegible] 10/2/17
12/4/17	वकील प्रतिवादी उपस्थित [illegible] दिनांक 17/5/17 को पेश हो।	
[illegible]/17	पत्रावली आज [illegible] अदालत में पेश हुई। [illegible] कोई [illegible] किया जाना [illegible] अवलोकन किया गया। [illegible] वादी [illegible] डिक्री [illegible] वादी [illegible] डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर [illegible] किया गया। पत्रावली [illegible] दाखिल दफ्तर हो। Riy	

न्यायालय उप जिला कलक्टर सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी- श्री राजपाल यादव आर.ए.एस. उप जिला कलक्टर सपोटरा

मु0नं0	किस्म	ता0दायरा	तारीख प्राथमिक निर्णय
46/15	दावा	16.08.15	01.02.17

सरवन पुत्र कन्हैया जाति माली निवासी खेड़ा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान।

-वादी

बनाम

1. जगनलाल पुत्र कन्हैया
2. बाबू पुत्र कन्हैया
3. मोहरसिह पुत्र जगनलाल

सभी जाति माली निवासी खेड़ा तह0 सपोटरा जिला करौली।

4. लैण्ड होल्डर जरिए तहसीलदार सपोटरा जिला करौली(राज0)

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा एवं बंटवारा

उपस्थितः- श्री रामरज गुप्ता वकील वादी।
श्री केशवपाल वकील प्रतिवादीगण।

संक्षेप में वाद तथ्य वादी इस प्रकार से है कि वादी ने एक वाद इस आशय का पेश किया है कि आराजी खसरा नं0 569 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा ग्राम खेड़ा तहसील सपोटरा मे स्थित है जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। जिसमे वादी का 1/4 हिस्सा है एवं प्रतिवादी सं0 1 ता 3 का क्रमशः 1/4-1/4-1/4 हिस्सा है। प्रतिवादीगण कानून से निडर एवं झगड़ालू व्यक्ति है और आये दिन वादी को उक्त आराजी के उपयोग उपभोग संयुक्त कब्जे काश्त मे एवं आमों के वृक्षों से फल प्राप्त करने मे बेजा मदाखलत मजामहत डालने पर उतारू रहते है मना करने पर आमादा फिसाद हो जाते है। आराजी से बेदखल करके सम्पूर्ण रकबे पर काश्त करने की एलानिया धमकी देते है। दिनांक 15.07.2014 को वादी ने प्रतिवादीगण से उक्त आराजी का बंटवारा करके अलग अलग खातेदारी इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड मे करवाने हेतु कहा गया तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया। इसलिए वादी ने उक्त आराजीयात को अपने 1/4 हिस्से का बंटवारा कराने व प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर कर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 जरिये वकील उपस्थित न्यायालय आये। प्रतिवादी सं0 2 बावजूद तामील सम्मन उपस्थित न्यायालय नही आये लिहाजा इनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिय गये। प्रतिवादी सं0 4 प्रकरण मे राज्य हित निहित नही होने के कारण कोई जवाब दावा पेश करना नही चाहते है। प्रतिवादी सं0 1 तथा 3 के वकील को सशर्त हिदायत के बावजूद भी कोई जवाब दावा पेश नही किया गया इसलिए तनकीयात कायम किया जाने की आवश्यकता नही रही। साक्ष्य में वादी सरवन का शपथ पत्र पेश किया। दस्तावेजी साक्ष्य मे वादी ने जमाबंदी नकल ग्राम खेड़ा सम्बत् 2068-71 पेश की है।

विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा पेश जमाबंदी नकल ग्राम खेड़ा सम्बत् 2068-71 से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात वादी एवं प्रतिवादी 1 ता 3 की

उप जिला कलक्टर सपोटरा, जिला-करौली

Scanned by CamScanner

संयुक्त खातेदारी की है जिसमे वादी का हिस्सा 1/4 स्पष्ट है और उसी अनुसार वादी को अपने हिस्से का राजस्व रिकार्ड मे पृथक से बंटवारा कराकर खाता व लगान पृथक से कराने के हकूक प्राप्त है।

अतः दावा वादी प्राथमिक डिकी किया जाकर ग्राम खेड़ा तहसील सपोटरा की आराजी खसरा नं0 569 रकबा 03 बीघा 09 बिस्वा मे वादी को हिस्सा 1/4 तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 3 को हिस्सा 1/4-1/4-1/4 का पृथक-पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार बंटवारा किये जाने हेतु नायब तहसीलदार कुड़गांव को 300/- फीस पर मौका कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। तहरीर जारी हो कि फीस कमीश्नर वादी से प्राप्त कर उभयपक्षकारान की मौजूदगी मे बंटवारा बाई मीट्स एण्ड वाण्ड्स किया जाकर बंटवारा स्कीम मय नक्शा ट्रेस 3 प्रति सहित बंटवारा स्कीम दिनांक 12.04.2017 को या इससे पूर्व भिजवावे। पत्रावली दिनांक 12.04.2017 को पेश हो।

उप जिला कलक्टर
सपोटरा जिला करौली

Scanned by CamScanner